

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

मानसिंह पिता छोद् गीणा नि. टीकड

बनाम

यादराम पिता जयराम भीणा नि. टीकड वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 918/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
10.11.21	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2250/2 रकबा 5.00 बीघा, आ.न. 2520/1 रकबा 5.00 बीघा कुल कित्ता 2 रकबा 10.00 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडोसी है प्रार्थी के साथ आराजियात की सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते रहते हैं प्रार्थी की उक्त आराजियात पर अप्रार्थीगण जबरन कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थी द्वारा अपना खेत की मेर की फसल काटते समय हकाई आदि करते समय विवाद उत्पन्न कर मरने मारने पर आमादा होते हैं। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम टीकड प. ह. टीकड तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2250/2 रकबा 5.00 बीघा, आ.न. 2520/1 रकबा 5.00 बीघा कुल कित्ता 2 रकबा 10.00 बीघा की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा कराये। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट सिद्ध प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 10.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

hu
उपखण्ड-अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)